फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री हिरालाल **विपक्षी : श्री प्रकाशचन्द्र**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 18/23**

जीसीएमएस : 2023/39

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 28.11.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा फतहनगर पटवार हल्का फतहनगर तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 पर दर्ज आराजी नम्बर 448, 449, 450, 451, 452 किता 5 कुल रकबा 0.4857 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में बंटवाडे का वाद प्रस्तुत किया हैं। विपक्षी सं. 1 वादग्रस्त भूमि का सहखातेदार हैं। सहखातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे उसके हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। विपक्षी सं. 1 सहखातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला विपक्षी सं. 1 के पक्ष में प्रतीत होता हैं तथा साथ ही विपक्षी सं. 1 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से विपक्षी सं. 1 को अपूरणीय क्षति हो सकती हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी द्वारा वाद बंटवाडे का पेश किया गया था जिसको स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की जा चुकी हैं। वर्तमान में विपक्षी सं. 1 हिस्सेनुसार रेकार्डेड खातेदार हैं। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किये गये है। ऐसी स्थिति में खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाना उचित नहीं हैं। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है। **:: आदेश ::** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया)** **सहायक कलक्टर** **(FT) मावली** Signature Not Verified Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia Date: 2024.12.18 16:43:03 IST Reason: SelfAttested	